अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 63/2011

चावली पुत्री गणपत पत्नी लालचन्द जाति नायक निवासी मम्मड साकिन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

––वादिया

–:बनाम:–

1. मामराज पुत्र गणपत जाति नायक निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. कलावती पत्नी शेराराम जाति नायक मुकलावा गावं तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. देवीलाल पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा।
4. मोहनलाल | पुत्रगण शेराराम जाति नायक साकिन मुकलावा
5. दलीप | गांव तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुडडी पत्नी ओम पुत्री शेराराम जाति नायक निवासी हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. पपली पुत्री सोहनलाल माता रामप्यारी जाति नायक निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर।
8. सोहनलाल पुत्र हुनताराम जाति नायक निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

––प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

दिनांक :– 11/11/24

वादी की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, प्रतिवादीगण 3 ता 5 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री राम स्वरूप तावणियां अधिवक्ता इस वाद मे आज **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती हैः–

1. **कमला पत्नि मोहन लाल, दलीप पुत्र शेराराम, कलावती देवी पत्नि शेराराम, देवीलाल पुत्र शेराराम जाति नायक साकिन उमेवाला** को प्राप्त कृषि भूमिः–
   3 टीकेडब्ल्यू प.नं. 12/218 मु.न. 101 किला नं. 24/.253 व प.न. 12/219 मु.नं. 5–6–15–16–25 की 1.265 हैक्ट. व प.नं. 11/219 मु.नं. 112 किला नं. 23/.253, 24/.253, 25/.253 कुल 2.277 हैक्ट. कमाण्ड अ[illegible]
2. **चावली पुत्री गणपतराम जाति** [illegible]
   3 टीकेडब्ल्यू प.नं. 12/219 मु.न. 111 किला नं. 10/.27, 11–12–19–20–21–22 की 1.518 हैक्ट. प.नं. 11/219 मु.नं. 112 किला नं. 18/.126, 16–17 की .506 कुल 2.277 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.20 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3\. **सुखदेव पुत्र मामराम, मामराज पुत्र गणपतराम जाति नायक साकिन उमेवालाः—**

चक 3 टीकेडब्ल्यू प.नं. 12/218 मु.नं. 101 किला नं. 21—22—23 की .759 हैक्ट. प.नं. 12/219 मु.नं. 111 किला नं. 1—2—3—4 की 1.012 हैक्ट. किला न. 7—8—9 की .759 हैक्ट. किला नं. 10/.126 किला नं. 13—14—17—18—23—24 की 1.518 हैक्ट. व प.नं. 11/219 मु.नं. 212 किला नं. 6—7 की .506 हैक्ट. किला नं. 11 ता 15 की 1.265 हैक्ट., 18/.127, 19—20/.506 हैक्ट., 22/.253 हैक्ट. की कुल 6.831 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.20 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested